शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

संख्याः–1513/श0वि0नि0–17–18–53(विविध–विकल्प)/06
देहरादून दिनांक 24 अगस्त, 2017

कार्यालय आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या–525/श0वि0नि0–17–18–53(विविध–विकल्प)/06, दिनांक 27–05–2017 द्वारा उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ''ग'') नियमावली, 2017 के नियम–18 के अन्तर्गत पालिका मिनिस्ट्रीयल सेवा संवर्ग संवर्ग का विकल्प देने वाले कार्मिकों की प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में निम्न कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध/आपत्तियों का निम्नवत् निस्तारण किया जाता हैः–

क्र0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	मुख्य आपत्ति/अनुरोध	निस्तारण
1–	श्री नरेन्द्र सिंह पंवार, नगर पालिका परिषद, मसूरी	पारिवारिक परिस्थिति के कारण नाम हटाने का अनुरोध किया गया है।	उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ''ग'') नियमावली, 2017 के नियम–18 में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होने का प्राविधान है। कार्यालय ज्ञाप दिनांक दिनांक 05–05–2017 द्वारा संवर्ग आबंटन के समय मांगी गयी आपत्ति पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–05–2017 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता निर्धारण पर आपत्तियां आमंत्रित की गयी है, न कि विकल्प संशोधन/नाम हटाये जाने हेतु। नियमावली के उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत अनुरोध विचारणीय नहीं है।
2–	श्री बिजेन्द्र सिंह नेगी, नगर पालिका परिषद, मसूरी	पारिवारिक परिस्थिति के कारण नाम हटाने का अनुरोध किया गया है।	तदैव
3–	श्री आदेश कुमार यादव, नगर निगम, हरिद्वार	आपत्ति की है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–05–2017 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित शैक्षिक योग्यता इण्टर के स्थान पर स्नातक (बी0ए0) अंकित की जाए।	आपत्ति विचारणीय है। उपलब्ध कराये गये शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर तद्नुसार शैक्षिक योग्यता संशोधित की जाती है।
4–	श्री गणेश सिंह सुयाल, नगर निगम, हल्द्वानी	आपत्ति की है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–05–2017 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल के स्थान पर इण्टर अंकित की जाए।	तदैव
5–	नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर के माध्यम से प्राप्त श्री प्रदीप कुमार ओझा	आपत्ति की है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–05–2017 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित शैक्षिक योग्यता इण्टर के स्थान पर एम0कॉम अंकित की जाए।	तदैव
6–	अधि0 अधि0, नगर पालिका परिषद, नैनीताल	1– श्री मोहन चन्द्र की शैक्षिक योग्यता इण्टर के स्थान पर एलएलबी, एलएलएम की जाए। 2– श्री प्रमोद कुमार की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल के स्थान पर इण्टर की जाए। 3– श्रीमती देवकी कुंवर की शैक्षिक योग्यता इण्टर के स्थान पर स्नातक की जाए। 4– श्री कपिल वाल्मीकि की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल के स्थान पर इण्टर की जाए।	तदैव
7–	श्री राधेश्याम छाछर, नगर	आपत्ति की है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–05–2017 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता	आपत्ति विचारणीय है। यथा उपलब्ध कराये गये शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार अन्तिम सूची में

	निगम, हरिद्वार	सूची में अंकित शैक्षिक योग्यता उत्तमा के स्थान पर साहित्य रत्न अंकित की जाए।	शैक्षिक योग्यता उत्तमा (साहित्य रत्न द्वितीय खण्ड) संशोधित की जाती है।
8–	श्री विनोद कुमार श्रेय, नगर निगम, रूड़की	आपत्ति की है कि उनकी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित/सृजित नियुक्ति की तिथि 09–08–1990 को हुई तथा दिनांक 05–08–1999 को लिपिक पद पर पदोन्नति हुई। अतः उक्त नियुक्ति की तिथि दिनांक 05–09–1999 के स्थान पर दिनांक 09–08–1990 की जाए।	आपत्ति विचारणीय नहीं है। श्री विनोद कुमार श्रेय द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति की तिथि मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। श्री श्रेय 5–9–1999 को लिपिक पद पर पदोन्नत होने के दृष्टिगत राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति की तिथि ज्येष्ठता सूची में नियमानुकूल रूप से अंकित की गई है।
9–	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट, नगर निगम, हल्द्वानी	आपत्ति की गयी है कि जून, 1993 में उनकी नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पद पर हुई। मा0 श्रमायुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल के पारित आदेश दिनांक 12–11–2013 द्वारा द्वारा उनकी पदोन्नति दिनांक 15–10–2007 करने के आदेश पारित किये गये, जिसके क्रम में उनकी पदोन्नति दिनांक 29–11–2016 को हुई है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि से वरिष्ठता दी जाए।	आपत्ति विचारणीय नहीं है। श्री भट्ट की लिपिक पद पदोन्नति दिनांक 29–11–2016 को पालिका द्वारा की गयी है। श्री भट्ट 29–11–2016 को लिपिक पद पर पदोन्नत होने के दृष्टिगत राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची में कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति की तिथि ज्येष्ठता सूची में नियमानुकूल रूप से अंकित की गई है।
10–	श्री सुशील बहुगुणा, श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, श्री मुरारी नौटियाल तथा श्री प्रदीप शर्मा, नगर पालिका परिषद, पौड़ी	1– आपत्ति की गयी है कि सर्वप्रथम जिन चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हो गयी हो, से पूर्व तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को रखा जाय। 2– अधिशासी अधिकारी के पदों पर राजस्व एवं अन्य संवर्गीय पदों से नियुक्तियां की जा रही है, जो गलत है। 3– निकायों के लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों का अन्य निकायों में स्थानान्तरण किये जाने पर जिन लोगों द्वारा विकल्प नहीं भरे गये है, को सम्बन्धित निकायों मा0 अध्यक्षों द्वारा अपने चहेंतो को उनकी इच्छानुसार कार्य आबंटन किया जाता है। अतः भविष्य में स्थानान्तरित कर्मचारियों के पटलों का भी उल्लेख किया जाय। 4– स्थानान्तरण हेतु ऐसी पालिसी/नीति बनायी जाय कि कर्मचारियों का स्थानान्तरण मण्डलवार हो सके। 5– अधिशासी अधिकारी के पदों हेतु अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लाया जा रहा है, जो गलत है। मिनिस्टीयल सेवा में विकल्प भरे है तथा योग्यता स्नातक/स्नातकौत्तर हो को अधिशासी अधिकारी के पदों पद पदोन्नति की जाय।	आपत्ति विचारणीय नहीं है। कार्मिकों द्वारा राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गयी है, मात्र चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, जिनकी प्रोन्नति तृतीय श्रेणी के पदों पर की गयी है, को ज्येष्ठता में नीचे रखने का अनुरोध किया गया है, जो उचित नहीं है। ज्येष्ठता सूची मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर बनायी गयी है। प्रस्तुत आपत्ति में स्थानान्तरण/पदोन्नति आदि का उल्लेख किया गया है जिसका ज्येष्ठता सूची से कोई सम्बन्ध नहीं है।
11–	अधि0 अधि0, टिहरी के माध्यम से प्राप्त श्री भक्तिप्रसाद सकलानी का प्रत्यावेदन	उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा अपना विकल्प दिनांक 23–04–2017 को कार्यालय में प्रभारी अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने पर उनके द्वारा आपत्ति सम्बन्धी आवेदन डाक से भेजा गया। अतः पुनः विकल्प स्वीकार किया जाए।	श्री भक्ति प्रसाद सकलानी, कनिष्ठ लिपिक का विकल्प निर्धारित तिथि दिनांक 25–4–2017 तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण विकल्प सम्मिलित नहीं किया गया है। अत्यन्त विलम्ब से दिनांक 17–06–2017 को प्राप्त विकल्प भी पालिका राजस्व सेवा का दिया गया है, जबकि पुर्नगठन ढांचा 12–6–2015 के अनुसार राजस्व सेवा में कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मोहर्रिर से ही प्रोन्नति का प्राविधान है। श्री सकलानी का विकल्प उक्त कारणों तथा संगत सेवा नियमावली/ढांचे के प्राविधानों के विरूद्व होने के कारण आपत्ति/विकल्प विचारणीय नहीं है।

2– उपरोक्त आपत्तियों के अतिरिक्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 02–06–2017, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मसूरी के पत्र दिनांक 08–06–2017 के माध्यम से

प्राप्त श्री वासुदेव डंगवाल की आपत्ति तथा नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के पत्र दिनांक 12–06–2017 द्वारा मुख्यतः इस बिन्दु पर आपत्ति की गयी है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर वेतनबैण्ड रू0 5,200–20,200 ग्रेड पे रू0 2,000/– दर्शाया गया है, जबकि कतिपय कार्मिक को पूर्व से वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायकों के पद पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रोन्नत किया गया है तथा कार्मिक ग्रेड वेतन रू0 4,200/– अथवा रू0 4,600/– पा रहे है। अतः पदोन्नति की तिथि से ही स्वतः ही वरिष्ठ सहायक के पद पर माना जाए। ऐसी उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त पाया गया कि पुनर्गठन ढांचा दिनांक 12–06–2015 के निर्गत होने से पूर्व पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक के पद सृजित नहीं थे। पूर्व में प्रथम श्रेणी लिपिक तथा द्वितीय श्रेणी लिपिक के नाम से पद सृजित थे, जो क्रमशः ग्रेड वेतन रू0 2,000/– तथा रू0 1,900/– के पद थे। पुनर्गठन ढांचा दिनांक 12–06–2015 द्वारा प्रथम बार पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक नाम से पद ढांचे में पदोन्नति का सृजित किया गया है, जिस पर पुनर्गठन ढांचा दिनांक 12–06–2015 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 2,000/– के अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों से प्रोन्नति का प्राविधान है। कार्मिक उक्त वेतनमान समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे है, न कि वे कार्मिक उक्त वेतनमान के मूल कार्मिक है। उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ''ग'') नियमावली, 2017 में तथा निकायों के पुनर्गठन ढांचा दिनांक 12–06–2015 कार्मिकों की मांग के अनुसार ऐसा कोई प्राविधान न होने के कारण आपत्तियां बलहीन होने के दृष्टिगत तर्कसंगत नहीं पायी गयी।

3– अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्राप्त उपरोक्त समस्त आपत्तियां का तद्नुसार निस्तारण करते हुए उक्त नियमावली के नियम–21(1) तथा नियम–21(5) में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत पालिका मिनिस्ट्रीयल सेवा संवर्ग की संलग्न राज्य स्तरीय पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाती है।

संलग्नः–अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित कार्मिक को परिचालित करने का कष्ट करें।
3– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित कार्मिक को परिचालित करने का कष्ट करें।
4– सम्बन्धित कार्मिक (द्वारा–सम्बन्धित नगर निकाय)।
5– गार्ड फाईल।

(नवनीत पाण्डे)
अपर निदेशक।